

[2022] 1 एस.सी.आर. 229

सुनील कुमार

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य (आपराधिक अपील सं. 95/2022)

25 जनवरी, 2022

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, न्यायमूर्तिगण]

जमानत-हत्या-गैरकानूनी सभा-प्रतिवादी सं.2 और अन्य अभियुक्तों ने कथित रूप से एक गैरकानूनी सभा का गठन किया और सूचक-अपीलार्थी के बड़े भाई की हत्या कर दी-मृतक पर गोली चलाई गई, और डंडा एवं लाठी से भी हमला किया गया-प्रतिवादी सं. 2 एक पर्वापराधी था और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी-वह कथित रूप से सूचक के पिता और छोटे भाई की हत्या में भी शामिल था-इन मामलों की सुनवाई साक्ष्य दर्ज करने के महत्वपूर्ण चरण में थी, और सूचक और गवाहों पर प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा दबाव बनाने के आरोप थे।-उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 2 को जमानत पर रिहा करने का निर्णय-अभिनिर्धारित किय गया:-न्यायोचित नहीं-प्रत्यर्थी सं. 2 को जमानत पर रिहा करते समय उच्च न्यायालय द्वारा कोई कारण नहीं दिये गये थे-उच्च न्यायालय ने जमानत देने के लिए प्रासंगिक विचारों पर ध्यान नहीं किया और प्रतिवादी सं. 2 के आपराधिक पूर्ववृत्त पर भी विचार नहीं किया।भले ही सूचक की ओर से ऐसा बताया गया हो-उच्च न्यायालय ने कथित अपराधों की गंभीरता, प्रकृति और अहमियत पर विचार नहीं किया -प्रतिवादी सं. 22 को तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश-भा.दं.सं. की धाराएँ 147, 148, 149, 341, 323, 324, 427, 504, 506, 307 और 302-शस्त्र अधिनियम की धारा 27।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

1. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 2 की जमानत पर आदेश जारी करते समय कोई कारण नहीं बताये गये हैं । अभियुक्त और राज्य की ओर से पेश वकील द्वारा की गई दलीलें दर्ज करने के

बाद उच्च न्यायालय ने केवल यह टिप्पणी की है कि "प्रतिद्वंद्वी दलीलों के साथ-साथ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी विचार करते हुए, यह न्यायालय जमानत देने के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है। याचिकाकर्ता की जमानत की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।" आगे कोई तर्क नहीं दिया गया है। न ही उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता, प्रकृति और अहमियत पर विचार किया है। [पारा 7] [235-सी-ई]

2. अन्यथा भी उच्च न्यायालय ने यह तय करने के लिए प्रासंगिक सामग्री पर विचार न करके गलती की है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना था या नहीं। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी प्रतिवादी सं. 2 अभियुक्त के आपराधिक पृष्ठभूमि पर बिल्कुल विचार नहीं किया है। हालाँकि सूचना देने वाले की ओर से यह बताया गया था कि आरोपी दो मामलों में शामिल है और अपीलकर्ता (सूचक) को आरोपी के खिलाफ लंबित पहले के मामलों में आगे बढ़ने से रोक दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे दरकिनार कर दिया है और इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से इस दलील पर ध्यान दिया है कि एक अन्य अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि उक्त अन्य अभियुक्त का मामला प्रतिवादी सं. 2-अभियुक्त के समान है या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने आदेश को यांत्रिक रूप से और बिल्कुल लापरवाही से पारित किया है। [पारा 9, 10] [237-जी; 238-ए-डी]

3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी सं. 2 एक पूर्वापराधी है और आपराधिक पृष्ठभूमि रखता है और सूचक के पिता और भाई की हत्या करने की दोहरी हत्या में शामिल है और इन मामलों का मुकदमा साक्ष्य दर्ज करने के महत्वपूर्ण चरण में है और सूचक और गवाहों पर दबाव डालने के आरोप हैं, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 2 को जमानत पर रिहा करने का विवादित निर्णय और आदेश बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। उच्च न्यायालय ने कथित अपराधों की गंभीरता, प्रकृति और अहमियत पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। [पारा 11] [239-बी-सी]

रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली) और अन्य,
(2021) 6 एससीसी 230; महिपाल बनाम राजेश कुमार (2020) 2

एससीसी 118:[2019] 14 एससीआर 529; अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2018) 12 एस. सी. सी. 129:[2017] 11 एससीआर 195; और नीरूयादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2016) 15 एस. सी. सी. 422:[2015] 10 एससीआर 802-पर निर्भर था। सुनील कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य भूपेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2021 (13) स्तर 38-संदर्भित

वाद कानून संदर्भ

(2021) 6 एससीसी 230	निर्भर था	पारा 3.1 पर
[2019] 14 एससीआर 529	निर्भर था	पारा 3.1 पर
2021 (13) स्तर 38	को संदर्भित था	पारा 3.2 पर
[2017] 11 एस. सी. आर. 195	निर्भर था	पारा 3.3 पर
[2015] 10 एस. सी. आर. 802	निर्भर था	पारा 10 पर

आपराधिक अपील सं.95/2022

आपराधिक विविध सं.13149/2021 में पारित पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 17.08.2021 से। व्यथित महसूस करते हुए जिसके द्वारा ऋतुराज चौधरी, ऋतुराज विश्वास, चंदन कुमार, मयान प्रसाद सुश्री सुजय बर्धन, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

देवाशीष भारुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, मानस सयाल, अतुल कुमार, सुश्री स्वीटी सिंह, सुश्री अर्चना कुमारी, प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय एम. आर. शाह, न्यायुक्ति द्वारा सुनाया गया

निर्णय

1. पटना में न्यायिक उच्च क्षेत्राधिकार द्वारा दिनांक 17.08.2021 को आपराधिक विविध आवेदन संख्या 13149 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से असंतुष्ट और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च क्षेत्राधिकार ने 2020 के कथित मामले संख्या 328-

वैशाली पुलिस स्टेशन में धारा 147,148,149,341,323,327,504,506,307 और 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2-मूल आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है, मृतक के छोटे भाई ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. यहां अपीलार्थी-मृतक शारदानंद भगत के छोटे भाई ने अपराध के लिए एफ. आई. आर. में नामित सभी अभियुक्तों के खिलाफ बिहार पुलिस स्टेशन के वैशाली में प्रथम इतिहास रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 427, 504, 506, 307 और 302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत उन पर हमला करने और अपने बड़े भाई शारदानंद भगत की हत्या करने के लिए सत्यापित नहीं किए गए, जो गोली लगने से घायल हो गए थे। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटना की दुर्भाग्यपूर्ण तारीख को आरोपी रामावतार भगत (इसमें प्रतिवादी संख्या 2) और प्रथम इतिहास रिपोर्ट में नामित अन्य आरोपी घातक हथियारों से लैस होकर सूचना देने वाले के बांस के गुच्छों पर आए और उन्होंने बांस काटने शुरू कर दिए। इसलिए उनके भाई शारदानंद भगत ने उन्हें मना कर दिया। इस आरोपी पर रामावतार भगत ने शारदानंद भगत को मारने का आदेश दिया और फिर शारदानंद भगत भागने लगे, लेकिन उनका पीछा किया गया और सभी अभियुक्तों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद सह-आरोपी मनीष कुमार ने उस पर अपनी राइफल से गोली चलाई, जिससे शारदानंद भगत घायल हो गए और नीचे गिर गए और जब मुखबिर उन्हें बचाने के लिए गया, तो सह-आरोपी रामबाबू कुमार ने मुखबिर पर दो गोलियां चलाईं, जिससे मुखबिर भी कुछ हद तक घायल हो गया। उसके बाद सभी अभियुक्तों ने सूचना देने वाले को लाठी-डंडा से बेरहमी से पीटा। जब गांव के लोग इकट्ठा होने लगे तो सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। बाद में दोनों घायलों को सदर हाजीपुर लाया गया और बाद में उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया।

2.1 कि उपचार के दौरान शारदानंद भगत ने गोली लगने से दम तोड़ दिया। इसलिए, बाद में, आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी गई। प्रतिवादी संख्या 2-रामावतार भगत सहित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। प्रतिवादी संख्या 2-रामावतार भगत द्वारा दाखिल जमानत याचिका को सेशन न्यायालय द्वारा ठोस कारण बताते हुए और यह कहते हुए नामंजूर कर दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 2-अभियुक्त रामावतार भगत और प्रथम इतिहास रिपोर्ट में नामित अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा बनाई और उसके बाद शारदानंद भगत

की हत्या कर दी.सत्र न्यायालय ने यह भी कहा कि जहां तक प्रतिवादी संख्या 2-रामअवतार भगत का संबंध है, उसने ऐसे जघन्य अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया है और इसलिए मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है,उसके बाद प्रतिवादी संख्या २ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ४३९ के तहत वर्तमान आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोई ठोस कारण बताए बिना और उस अपराध की गंभीरता और प्रकृति पर विचार किए बिना, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था, और आरोपी और राज्य की ओर से किए गए सबमिशन का वर्णन करने के बाद और यह देखने के बाद कि प्रतिद्वंद्वी सबमिशन और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी विचार करने के बाद, जमानत की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए यह न्यायालय याची के वकील द्वारा प्रस्तुत सबमिशन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है.याचिकाकर्ता की जमानत के लिए प्रार्थना की अनुमति है।

2.2 उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और प्रतिवादी संख्या 2 को रिहा करने वाले जमानत आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना मृतक के मूल मुखबिर-छोटे भाई, जो खुद एक घायल चश्मदीद गवाह है, ने वर्तमान अपील दायर की है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वत वकील श्री रितुराज चौधरी ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने एक मामले में जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने में एक गंभीर त्रुटियां की है.

3.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर छोड़ते समय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए कि प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के साथ-साथ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी जमानत मंजूर करने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसाकि इस न्यायालय द्वारा विनिश्चयों के एक वर्ग में अभिनिर्धारित किया गया है, पूर्वोक्त को शायद ही जमानत पर अभियुक्त को रिहा करते समय दिए गए पर्याप्त कारण कहा जा सकता है। भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली) और अन्य, (2021) 6 एससीसी 230, साथ ही महिपाल बनाम राजेश कुमार, (2020) 2 एससीसी 118 के मामले में इस निर्णय को विचार में लिया गया है।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर छोड़ने का पारित आक्षेपित आदेश इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त विनिश्चयों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा भूपेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान एवं अन्य (क्रिमिनल अपील संख्या 1279 वर्ष 2021 जो कि 29.10.2021) वाले मामले में दिए गए हाल के विनिश्चय में अधिकथित विधि के बिल्कुल विपरीत है।

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी प्रतिवादी संख्या 2 अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त करते समय, उच्च न्यायालय ने विनिश्चयों के एक वर्ग में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित रूप में जमानत मंजूर करते समय सुसंगत विचारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है, जिसमें इस न्यायालय का विनिश्चय अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2018) 12 एससीसी 129 का मामला भी शामिल है।

3.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के पूर्ववृत्तों की भी पूरी तरह से उपेक्षा की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय के साथ जो तुलना किया गया है वह एक समानता प्रतीत होता है क्योंकि एक अन्य सह-आरोपी शशि भूषण भगत को जमानत दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तथापि, जहां तक सह-अभियुक्त शशि भूषण भगत के मामले का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उनकी विशिष्ट और विशिष्ट विशेषताओं की सराहना नहीं की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि सह-अभियुक्त शशि भूषण भगत का मामला प्रतिवादी संख्या 2 अभियुक्त से अलग है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भी इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि पहले प्रतिवादी संख्या 2 भी दोहरी हत्या के मामले में अभियुक्त है। वह मुखबिर के पिता और छोटे भाई की हत्या में शामिल है और जिसके लिए उसके खिलाफ मामले लंबित हैं और मुकदमा साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने बिल्कुल नहीं किया है। इस तथ्य को नोट किया और/या सराहना की कि प्रतिवादी अभियुक्त या तो पूर्वोक्त सत्र विचारण को वापस लेने के लिए या पूर्वोक्त मामले में मुकर जाने के लिए मुखबिर पर दबाव बना रहा है क्योंकि मुकदमा साक्ष्य के चरण में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त प्रासंगिक पहलुओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, जो प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय जमानत की मंजूरी पर विचार करते समय बहुत महत्वपूर्ण हैं।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत वकील श्री देवाशीष भारुका ने अपीलार्थी का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि जांच की समाप्ति के बाद, प्रतिवादी संख्या २ को अपीलार्थी के बड़े भाई शारदानंद भगत की हत्या/हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा १४७, १४८, १४९, ३०२, ३४ और ४४७ के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय को भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ के तहत अपराध के लिए ऐसे गंभीर मामले में प्रतिवादी संख्या २ को जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए था।

5. वर्तमान अपील का श्री अतुल कुमार, प्रतिवादी संख्या २ अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वत वकील द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियों को स्वीकार करने के बाद और मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या २ को जमानत पर रिहा कर दिया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद १३६ के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 एक 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है और उसका कथित अपराधों से कोई लेना-देना नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदन करते समय या बहस प्रस्तुत करते समय माननीय न्यायालय से दो पिछले मामलों में कथित संलिप्तता को छुपाया नहीं गया है और आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा भी इस पर चर्चा की गई है।

5.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी अन्य मामलों में साक्ष्य लगभग पूरा हो गया है और केवल डॉक्टर और जांच अधिकारी की जांच की जानी बाकी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले के मामले में, प्रतिवादी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया गया है और यह कि ३० वर्षों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है।

5.3 उपर्युक्त प्रस्तुतियां करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि जमानत को रद्द न किया जाए और/या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर छोड़ने के आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप न किया जाए।

6. हमने संबंधित पक्षों के विद्वत वकील को विस्तार से सुना है। हमने उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आक्षेपित निर्णय और आदेश का भी अध्ययन किया है।

7. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय उच्च न्यायालय द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है। सरकार की ओर से उपस्थित विद्वत वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों को दर्ज करने के बाद अभियुक्त और उसके बाद राज्य ने केवल यह मत व्यक्त किया है कि प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जमानत की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए यह न्यायालय याची के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त है। याचिकाकर्ता की जमानत के लिए प्रार्थना की अनुमति है। कोई और तर्क नहीं दिया गया है। न ही उच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता, प्रकृति और गंभीरता पर विचार किया है। महिपाल (उपर्युक्त) के मामले में, पैरा 24 से 27 में किसी अभियुक्त को जमानत मंजूर करते समय संक्षिप्त कारण देने पर बल देते हुए, यह मत व्यक्त किया गया है:-

“24. विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय त्रुटियां में पड़ने का एक और कारण है। यह उन कारणों को अभिलिखित करने के लिए जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के आदेश के लिए न्यायिक अनुशासन का एक ठोस प्रयोग है जो न्यायालय को अपनी विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के लिए भारित करते हैं। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा किया गया मूल्यांकन अनिवार्य रूप से एक ही पैरा में निहित है जो इस प्रकार है: (राजेश कुमार का मामला [राजेश कुमार बनाम राज्य का राज्य] राजस्थान, 2019 एससीसी ऑनलाइन राज 5197), एससीसी ऑनलाइन राज पैरा 4)

"4. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पेश किए गए तर्कों पर विचार करते हुए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को जमानत पर बढ़ाना उचित और उचित समझता है।"

25. केवल "अभिलेख का अवलोकन करने" और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अभिलेख का अभिलेखन करना तर्कसंगत न्यायिक आदेश के प्रयोजन को पूरा नहीं करता है। यह एक खुले न्याय का मूल आधार, जिसके प्रति हमारी न्यायिक प्रणाली प्रतिबद्ध है, कि ऐसे कारक जो न्यायाधीश के मन में अस्वीकृति या जमानत की मंजूरी के लिए भारित हैं, पारित आदेश में अभिलिखित किए जाते हैं। खुला न्याय इस धारणा पर आधारित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से और निस्संदेह रूप से किया जाना चाहिए। तार्किक निर्णय देने के लिए न्यायाधीशों का कर्तव्य इस प्रतिबद्धता के केंद्र में है। जमानत मंजूर करने के प्रश्न आपराधिक अभियोजन से गुजरने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने में आपराधिक न्याय प्रणाली के हितों से संबंधित हैं कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाए। न्यायाधीश उस आधार पर स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं जिसके आधार पर वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

26. कल्याण चन्द्र सरकार बनाम राजेश रंजन [कल्याण चन्द्रा सरकार बनाम राजेश रंजन, (2004) 7 एससीसी 528, वाले मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ से एक निर्णय की शुद्धता का आकलन करने की अपेक्षा की गई थी [राजेश रंजन बनाम बिहार राज्य, आपराधिक विविध 2002 का सं. 28179, उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 23.05.2003 (पैट)] जमानत पर अभियुक्त का विस्तार करता है। न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए अजमानतीय अपराधों में जमानत की मंजूरी पर विधि पर चर्चा की और अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 535, पैरा 11)

"11. जमानत मंजूर करने या इनकार करने के संबंध में विधि बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। जमानत मंजूर करने वाले न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायोचित तरीके से करना चाहिए न कि अनुक्रम के रूप में। हालांकि जमानत मंजूर करने के चरण में सबूतों की विस्तृत जांच और मामले की

योग्यता के विस्तृत प्रलेखन की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए ऐसे आदेशों में कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत विशेष रूप से तब क्यों दी जा रही थी जब अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया है। इस तरह के कारणों के बिना कोई भी आदेश दिमाग का उपयोग नहीं करने से प्रभावित होगा।"

27. जहां जमानत से इंकार करने या मंजूर करने वाला कोई आदेश विनिश्चय को सूचित करने वाले कारणों को प्रस्तुत नहीं करता है, वहां मस्तिष्क का उपयोग न करने की उपधारणा है जिसके लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। जहां जमानत के लिए कोई पूर्व आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, वहां अपील न्यायालय पर यह विनिर्दिष्ट कारण प्रस्तुत करने का अधिक भार है कि जमानत क्यों मंजूर की जाए।"

8. इसी प्रकार का विचार इस न्यायालय द्वारा रमेश भवन राठौड़ (पूर्वोक्त) के मामले में हाल ही में दिए गए विनिश्चय में व्यक्त किया गया है। जमानत मंजूर करते समय संक्षिप्त कारण देने पर बल देते हुए, उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि यद्यपि यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि यह अवधारित करने में कि जमानत मंजूर की जानी चाहिए, उच्च न्यायालय, या उस मामले के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन किसी आवेदन का विनिश्चय करने वाला सेशन न्यायालय गुणागुण के आधार पर तथ्यों के विस्तृत मूल्यांकन पर आरंभ नहीं करेगा क्योंकि आपराधिक विचारण अभी होना बाकी है। आगे यह भी मत व्यक्त किया गया है कि जमानत मंजूर करने वाला न्यायालय जमानत मंजूर करने या नहीं करने का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए न्यायिक बुद्धि को लागू करने और संक्षिप्त कारण, जो भी हो, अभिलिखित करने के अपने कर्तव्य से विरत नहीं हो सकता है। यह देखा गया है कि आवेदन का परिणाम एक ओर अभियुक्त की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और दूसरी ओर दांडिक न्याय के सम्यक प्रवर्तन में लोकहित और दूसरी ओर पीड़ितों और उनके परिवारों के अधिकार भी दांव पर हैं और इसलिए जमानत मंजूर करते समय, न्यायालय को न्यायिक बुद्धि का प्रयोग करना होगा और निम्नलिखित प्रयोजन के लिए संक्षिप्त कारण अभिलिखित करने होंगे - यह विनिश्चय करना कि जमानत मंजूर की जाए या नहीं। इस न्यायालय द्वारा पैरा 36 में पूर्वोक्त निर्णय में आगे यह मत व्यक्त किया गया है:

“36. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत की मंजूरी एक ऐसा मामला है जिसमें न्यायिक विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया जाता है। किसी अन्य न्यायिक संस्था के रूप में न्यायालय में निहित किसी अन्य विवेकाधिकार के मामले की तरह जमानत देने या इनकार करने में न्यायिक विवेकाधिकार अव्यवस्थित नहीं है। कारणों को अभिलिखित करने का कर्तव्य एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय को सौंपे गए विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायसंगत तरीके से किया जाए। न्यायिक आदेश में कारणों का अभिलेखन यह सुनिश्चित करता है कि आदेश में निहित विचार प्रक्रिया जांच के अधीन है और यह तर्क और न्याय के वस्तुनिष्ठ मानकों को पूरा करता है।”

9. तथापि, उच्च न्यायालय ने इस अवधारण से सुसंगत सामग्री पर विचार न करने में गलती की है कि क्या अभियुक्त को जमानत पर विस्तारित किया जाना था। उच्च न्यायालय ने जमानत मंजूर करने के लिए सुसंगत विचारों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है। अनिल कुमार यादव (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत मंजूर करते समय, सुसंगत विचार निम्नलिखित हैं (i) अपराध की गंभीरता की प्रकृति (ii) साक्ष्य और परिस्थितियों का स्वरूप जो अभियुक्त के लिए विलक्षण हैं, (iii) अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना (iv) उसकी रिहाई का अभियोजन गवाहों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और (v) उसकी छेड़छाड़ की संभावना।

10. यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी प्रत्यर्थी नं. २-अभियुक्त के आपराधिक पूर्ववृत्त पर विचार नहीं किया है। हालांकि मुखबिर की ओर से बताया गया कि आरोपी दो मामलों में शामिल है और कि अपीलकर्ता (मुखबिर) को आरोपी के खिलाफ लंबित पहले के मामलों में आगे बढ़ने से रोक दिया गया था, उच्च न्यायालय ने बस इसे दरकिनार कर दिया है और उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने आरोपी की ओर से इस बात का संज्ञान लिया है कि एक अन्य आरोपी शशि भूषण भगत को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस पर बिल्कुल विचार नहीं किया है कि शशि भूषण भगत का मामला प्रतिवादी संख्या २-अभियुक्त-रामावतार भगत के समान है या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने यांत्रिक रूप से और बहुत ही सामान्य तरीके से आदेश पारित किया है।

नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2016) 15 एससीसी 422, के मामले में जमानत मंजूर करने का विनिश्चय करते समय संतुलन में रखे जाने वाले विचारों पर इस न्यायालय के निर्णयों के एक वर्ग को निर्दिष्ट करने के पश्चात्, पैराग्राफ 15 और 18 में निम्नलिखित रूप में यह मत व्यक्त किया गया है:

“15. यह कानून की स्थिति होने के कारण, यह बादल रहित आकाश की तरह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने समता के सिद्धांत को महत्व दिया है। अपराधों की प्रकृति में अंतर्वलित एक इतिहासकार, जिसे हमने इसमें ऊपर पुनः प्रस्तुत किया है, कोई मामूली अपराध नहीं है जिससे कि उसे अभिरक्षा में नहीं रखा जा सके, किंतु अपराध जघन्य प्रकृति के हैं और ऐसे अपराधों को किसी भी प्रकार से कल्पना से परे नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामले विश्लेषणात्मक मस्तिष्क में मूसलाधार वर्षा की संभाव्यता को प्रभावित करते हुए गर्जन और बिजली पैदा करते हैं। कानून उम्मीद करता है कि न्यायपालिका इस तरह के आरोपी व्यक्तियों को स्वीकार करते समय सतर्क रहेगी और इसलिए 11 जोर विवेकपूर्ण तरीके से विवेकाधिकार के प्रयोग पर है न कि सनकी तरीके से।

X X X

18. मामले से अलग होने से पहले, हम लाभ के साथ दोहरा सकते हैं कि यह जमानत रद्द करने की अपील नहीं है क्योंकि रद्द करने की मांग पर्यवेक्षण परिस्थितियों के कारण नहीं की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है क्योंकि कई प्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिसमें अभियुक्त का आपराधिक इतिहास शामिल है और जो आदेश को विचलित करता है। इसलिए, अपरिहार्य परिणाम आक्षेपित आदेश की अवहेलना है।”

11. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर लागू करना और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करना कि प्रतिवादी संख्या 2 एक इतिहास पत्रक है और उसका आपराधिक पूर्ववृत्त है और वह मुखबिर के पिता

और भाई की हत्या करने के दोहरे हत्या में शामिल है और इन मामलों का विचारण साक्ष्य अभिलिखित करने के महत्वपूर्ण चरण में है और सूचना देने वाले और गवाहों पर दबाव डालने के आरोप हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने के लिए पूरी तरह से अस्थिर है और वह नहीं टिक सकता है। उच्च न्यायालय ने कथित अपराधों की गंभीरता, प्रकृति और गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

12. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का आक्षेपित निर्णय और आदेश इसके द्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करने और रद्द करने पर प्रत्यर्थी नं. 2 को जमानत पर रिहा करने पर, अब प्रतिवादी संख्या 2 आरोपी को संबंधित जेल प्राधिकरण/संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण किया जाना चाहिए। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।

[एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति]

[संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति]

नई दिल्ली

25 जनवरी, 2022

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।